न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2025/519 दर्ज तिथिः–21.07.2025

1. राजूराम पुत्र नेमाराम
2. तेजाराम पुत्र नेमाराम
3. बबरीदेवी पत्नी तेजाराम
4. मालाराम पुत्र नेमाराम
5. चेतनराम पुत्र नेनाराम
6. ओमप्रकाश पुत्र पांचाराम
7. विक्रम पुत्र पांचाराम
8. हकीदेवी पत्नी पांचाराम
9. रमेशकुमार पुत्र प्रभूराम
10. ओखीदेवी पत्नी प्रभूराम

जातियान कुम्हार निवासी बेरीगांव तहसील गुड़ामालानी

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी
2. सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुड़ामालानी।

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 100/1.0522 है0, 100/2/0.3318 है0, 58/0.3399 है0, 59/0.0162 है0, 60/0.2428 है0, 98/0.1619 है0 मौजा बेरीगांव पटवार हल्का बेरीगांव तहसील गुड़ामलानी में अवस्थित है। राजस्व रिकॉर्ड भू–नक्शा में उक्त खसरान के मध्य से पक्की सड़क चल रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested

2. कि राजस्व रिकॉर्ड में कटाण रास्ता का उपयोग लोगों के आवागमन में नहीं किया जा रहा है। आवागमन हेतु कटाण रास्ते से इत्तर परिशिष्ट– अ' में ए से डी स्थान पर मौके पर रास्ता बना हुआ है एवं उपयोग में लिया जा रहा है।

3. कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट 'अ' में ए से बी भाग राजस्व रिकॉर्ड में कटाण रास्ता दर्ज है लेकिन उक्त ए से बी भाग पर मौके पर सड़क बनी हुई नही है। मौके पर सड़क परिशिष्ट 'अ' के ए से सी भाग पर बनी हुई है। जिसे मौके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उक्त सड़की की तरमीम मौके अनुसार परिशिष्ट 'अ' में ए से बी के स्थान पर ए से सी स्थान पर की जावे। उक्त तरमीम दुरूस्त से किसी को कोई एतराज नहीं है। परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उक्त प्रार्थना–पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट का न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

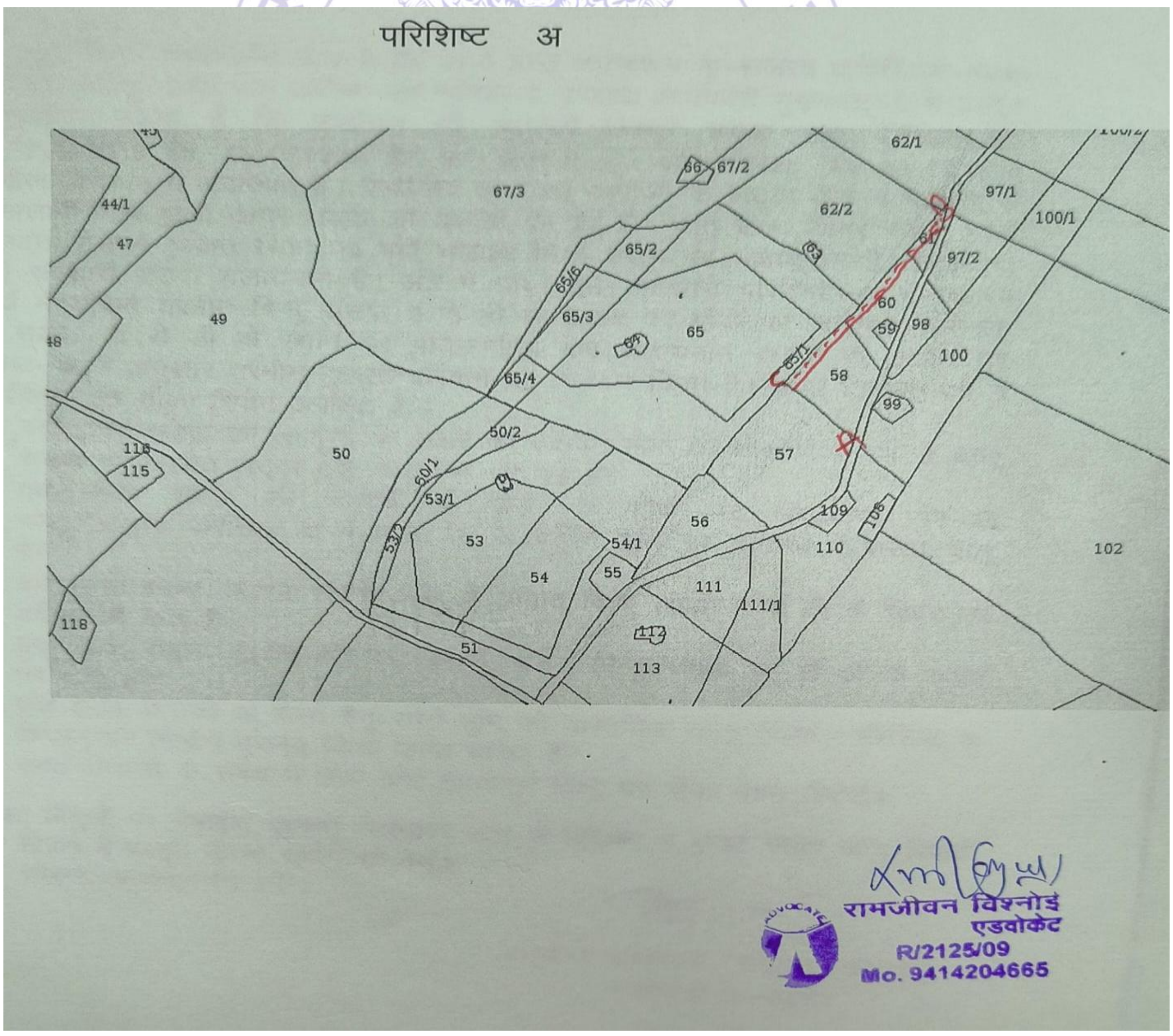

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1940 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1940 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

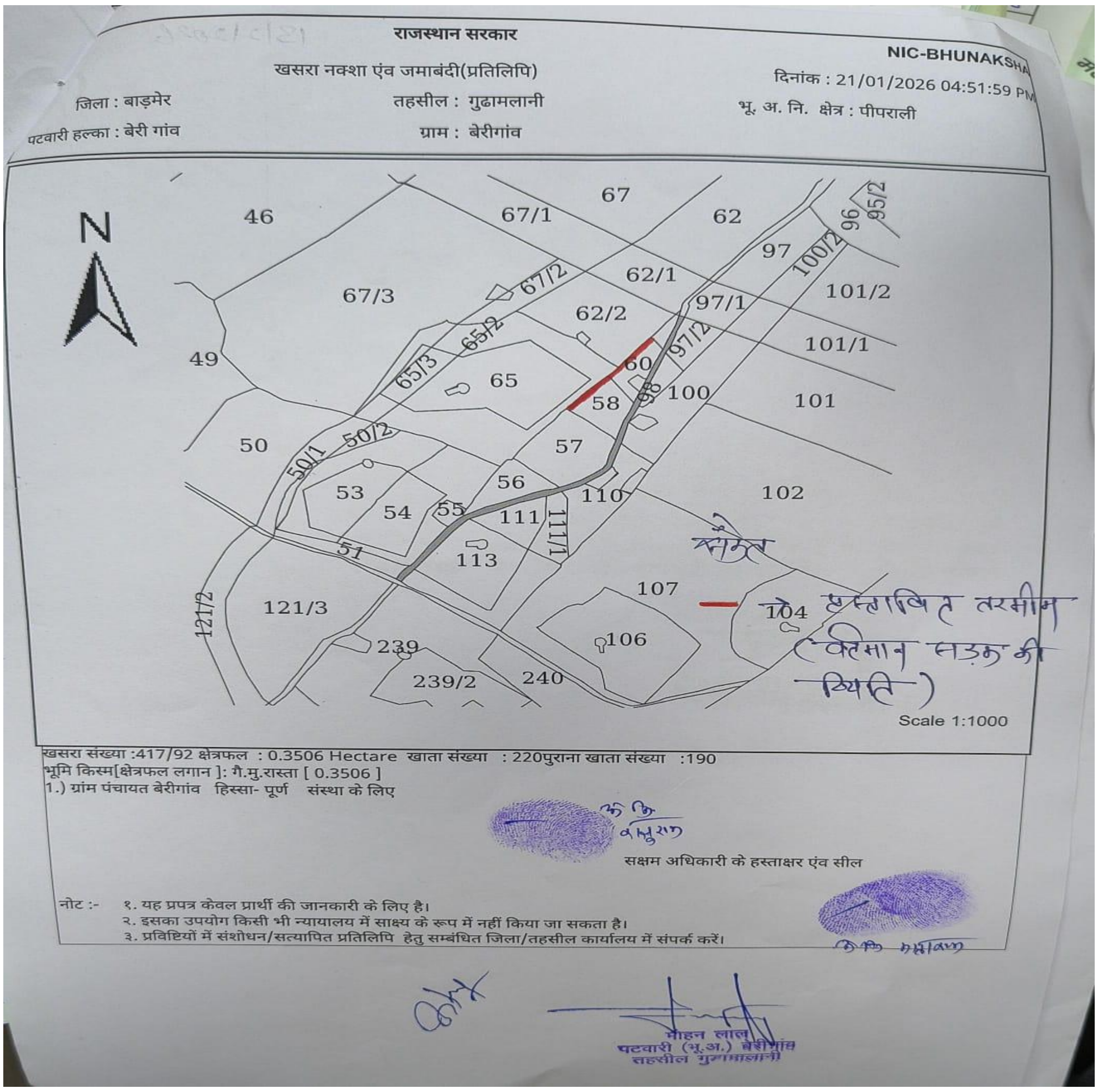
राजस्थान सरकार
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
NIC-BHUNAKSHA
दिनांक : 21/01/2026 04:51:59 PM
जिला : बाड़मेर   तहसील : गुढामलानी   भू. अ. नि. क्षेत्र : पीपराली
पटवारी हल्का : बेरी गांव   ग्राम : बेरीगांव

खसरा संख्या :417/92 क्षेत्रफल : 0.3506 Hectare खाता संख्या : 220पुराना खाता संख्या :190
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.रास्ता [0.3506]
1.) ग्रांम पंचायत बेरीगांव हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

मोहन लाल
पटवारी (भू.अ.) बेरीगांव
तहसील गुड़ामालानी

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1940 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

    1. कि वर्तमान में मौके पर डामर सड़क खसरा संख्या 58 व 60 में खसरा संख्या 65 / 1 व 62 / 2 के सेढ़े पर चल रही है। जबकि रेकर्ड में उक्त रास्ता खसरा संख्या 58, 60 व 98, 100 के मध्य है। जिसे परिशिष्ट 'अ' के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1940 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में खसरा संख्या 100 / 1.0522 है0, 100 / 2 / 0.3318 है0, 58 / 0.3399 है0, 59 / 0.0162 है0, 60 / 0.2428 है0, 98 / 0.1619 है0 मौजा बेरीगांव पटवार हल्का बेरीगांव तहसील गुड़ामलानी के मध्य से कटाण रास्ता 417 / 92 है0 मौके पर खसरा संख्या 58 व 60 में खसरा संख्या 65 / 1 व 62 / 2 के सेढ़े पर चल रहा है। मौके का सेटेलाईट व राजस्व नक्शा इस प्रकार है—

9. इस प्रकार उक्त सेटेलाईट के नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर सड़क अन्यत्र स्थान पर चल रही है। जबकि रिकॉर्ड में रास्ता खसरा संख्या 58, 60 व 61 के विपरित सेढ़े पर चल रहा है। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 1940 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/1940 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही रास्ते के खसरा संख्या 92 की तरमीम दुरूस्त करने पर रास्ते के रकबे को यथावत रखते हुए वर्तमान कटाण मार्ग पर प्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज की जावे। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.04.29 16:03:19 IST
Reason: SelfAttested